माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई–मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

फैक्स – ☎ . (0755) 2551499, 2552061

प्रवेश एवं परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका

क्र/571/प.स./12

दिनांक 11.07.2012

प्रिय,
प्राचार्य/प्राचार्या,

शैक्षणिक सत्र 2012–13 के लिए मण्डल की ओर से आपको शुभकामनाऐं। मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में नियमित विद्यार्थियों को प्रवेश/परीक्षा के संबंध में पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था प्रमुख/प्राचार्य का होता है। प्रवेशित छात्रों की प्रवेश सूची की सॉफ्ट कापी एवं सीडी में मण्डल की वेवसाईट पर उपलब्ध फारमेट के अनुसार तैयार कर प्रेषित की जाना है।

प्रवेश एवं परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका के साथ इस वर्ष मण्डल के निहित लक्ष्य भी प्रकाशित किये जा रहे है। आशा है कि लक्ष्य को ध्यान में रखकर समस्त तैयारी की जाए। महत्वपूर्ण निर्देश बिन्दु निम्नानुसार है :–

1	प्रवेश एवं प्रवेश सूची जमा करने की तिथि	समस्त मान्यता प्राप्त संस्था प्राचार्य अपनी संस्था में कक्षा 9वीं,10वी,11वीं एवं 12वीं की कक्षाओं में प्रवेश की समस्त प्रक्रिया **अंतिम तिथि 31 जुलाई के पूर्व पूर्ण कर लें।** प्रवेशित छात्रों की प्रवेश सूची **संलग्न** निर्धारित प्रारूप में तैयार कर जिले की समन्वयक संस्था पर दिनांक **12 अगस्त 2012 तक** अनिवार्य रूप से जमा करेगें। कक्षा 10वीं एवं 12वीं की प्रवेश सूची की साफट कॉपी एवं सीडी एक्सल फारमेट में तैयार कर जमा की जाए, तथा सूची के साथ कक्षावार/विषयवार संख्या पत्रक निर्धारित प्रारूप में अवश्य जमा की जाए।
2	पूरक प्राप्त छात्र के निर्देश (विनियम 139)	वर्ष 2012 की पूरक परीक्षा में सम्मिलित छात्र जिनका परीक्षा परिणाम घोषित नही हुआ है उन्हे अगली कक्षा में प्रावधिक **(PROVISIONAL)** प्रवेश की पात्रता रहेगी। ऐसे छात्रों का प्रेषित प्रवेश सूची में नाम दर्ज किया जावे। पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर पुनः पिछली कक्षा में प्रवेश स्थानांतरित किया जा सकेगा। प्रवेश सूची में नाम दर्ज न होने की स्थिति में छात्र को अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद संस्था में प्रवेश की अनुमति नही दी जावेगी।
3	विषय/माध्यम का चयन एवं परिवर्तन (विनियम 207)	कक्षा 10वीं एवं 12वीं में विषय का चयन प्रचलित पाठ्यक्रमानुसार किया जाए। कक्षा 12वीं में डायवर्सीफाईड समूह में विषयों का चयन सावधानी पूर्वक करें। पाठ्यक्रम का भली–भॉति अध्ययन कर छात्रों से विषय चयन करावें। परीक्षा फार्म/ ओ.एम.आर. शीट ऑनलाईन आवेदन करते समय विषय कोड लिस्ट से जांच कर विषय कोड भरा जावे। **चयनित विषय/माध्यम** में परिवर्तन **निर्धारित शुल्क जमा कर दिनांक 31.12..2012** तक किया जा सकेगा। उक्त तिथि के उपरांत प्राप्त प्रार्थना पत्र पर विचार नही किया जावेगा।
4	अन्य राज्य/बोर्डो के छात्रों का म.प्र, के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश (विनियम 122)	1 समकक्षता प्राप्त अन्य राज्य बोर्ड के छात्र क्रमशः 9वीं. 10वीं. 11वीं एवं 12वीं की परीक्षा वर्ष 2012 में उत्तीण अथवा अनुत्तीण हो यथास्थिति कक्षा 9वीं. 10वीं. 11वीं एवं 12वीं कक्षा में सीधे अस्थाई प्रवेश ले सकेगें। ऐसे छात्रों के प्रवेश संबंधी पात्रता अभिलेख एवं ग्राह्यता शुल्क सहित प्राचार्य के माध्यम से संबंधित संभागीय कार्यालय में दिनांक **12.08.2012** तक जमा करना होगा, तथा इन छात्रों के परीक्षा आवेदन जमा करने के पूर्व नामांकन क्रमांक एवं ग्राहयता मण्डल से कराना अनिवार्य होगा। संभागीय कार्यालय प्राप्त ग्राहायता प्रकरण का परीक्षण कर ग्राहयता एवं नामांकन दिनांक 20.09.2012 तक प्रदान करने की कार्यवाही पूर्ण करेगा, तथा मण्डल मुख्यालय को दिनांक 30.09.2012 तक ऐसे छात्रों की सूची उपलब्ध करायेगा। 2 **CBSE** बोर्ड की वर्ष 2012 में कक्षा 10वीं की स्थानीय परीक्षा उत्तीण/अनुत्तीर्ण छात्रों को नियमानुसार प्रवेश दिया जा सकेगा। 3 जो छात्र अन्य राज्यों के बोर्डो एवं मध्यप्रदेश के अन्य बोर्डो से निर्धारित प्रवेश तिथि **31 जुलाई 2012** के उपरांत परीक्षा उत्तीण करतें है, उन्हे उसी सत्र में मण्डल की आगामी कक्षा में प्रवेश की पात्रता नही रहेगी। अन्य बोर्ड के छात्रों को प्रवेश देने के उपरांत निम्न दस्तावेज प्राप्त कर, संबंधित संभागीय कार्यालय में निर्धारित तिथि में जमा करे – 1 आवेदन (निर्धारित प्रारूप में) 2 अहंकारी परीक्षा की अंकसूची 3 ट्रांसफर सर्टीफिकेट 4 माइग्रेशन प्रमाण–पत्र 5 नामांकन संबंधी आवेदन (निर्धारित प्रारूप में)

5	प्रवेश लेने हेतु अर्हकारी परीक्षा	1 किसी भी छात्र को मान्यता प्राप्त संस्था में कक्षा 9वीं. 10वीं .11वीं एवं 12वीं में प्रवेश लेना है, तो उसे यथास्थिति कक्षा 8वी. 9वीं. 10वीं अथवा 11वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, तथा वर्ष 2012 में कक्षा 9वीं. 10वीं .11वीं एवं 12वीं में अनुत्तीर्ण छात्र भी नियमित प्रवेश के लिए पात्र होगें। 2 कक्षा 10वीं एवं 12वीं के छात्रों के परीक्षा आवेदन के साथ पात्रता की जांच हेतु डाक्युमेंट संलग्न किया जाना अनिवार्य है। अपात्र पाये जाने पर आवेदन अमान्य किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
6	श्रेणी सुधार के लिए प्रवेश लेने हेतु निर्देश (विनियम 212)	1 नियमित छात्र के रूप में श्रेणी सुधार/अंक सुधार हेतु वर्ष 2011–2012 में उत्तीर्ण छात्र परीक्षा में सम्मिलित हो सकते है। इस योजना में केवल एक ही अवसर का लाभ मिलेगा। इसमें विषय परिवर्तन का लाभ नही दिया जावेगा। 2 इस श्रेणी में सम्मिलित होने वाले छात्रों का परीक्षाफल न्यूनतम 10 अंकों की वृद्धि होने अथवा 10 अंकों से कम वृद्धि होने पर भी श्रेणी परिवर्तन होने पर ही परीक्षाफल तैयार किया जावेगा। तथा पुरानी अंकसूची वापस प्राप्त होने पर नवीन अंक सूची प्रदाय की जावेगी। 3 इस योजना का लाभ अन्य राज्य के बोर्ड से उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को नही दिया जावेगा।
7	अतिरिक्त विषय का चयन	अतिरिक्त विषय का चयन मण्डल की हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा में प्रचलित पाठ्यक्रमानुसार किसी एक विषय में (जो मुख्य विषय में चयन नहीं किया गया हो) प्रवेश ले सकेगें।
8	नामांकन (विनियम 1994)	1 मण्डल की समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं के विद्यार्थियों का मण्डल में नामांकन होना अनिवार्य है। कक्षा 10वीं, 11वीं एवं 12वीं में प्रवेशित ऐसे छात्र जिनका पूर्व में नामांकन नही हुआ है एवं अन्य बोर्ड/राज्यों के छात्र के नामांकन संभागीय कार्यालय से दिनांक **20.09. 2012** तक किये जा सकेगें। 2 कक्षा 9वीं में नवीन प्रवेशित छात्रों के नामांकन ऑनलाइन/मेन्युअल आवेदन किया जाएगा। नामांकन की प्रविष्टी कियोस्क पर कराते समय छात्र की जानकारी सावधानी से त्रुटि रहित की जावे। **ऑनलाइन/मेन्युअल नामांकन दिनांक 25.08.12 से 30.09.12 तक निर्धारित है। कियोस्क संचालक को प्रति छात्र 20/– पृथक से देय होगा।**
9	**अध्ययन अन्तराल**	कक्षा 8वीं एवं 10वीं में उत्तीर्ण छात्र कमशः कक्षा 9वीं एवं 11वीं में नियमित प्रवेश के लिये अध्ययन अंतराल एक वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिये। लगातार दो वर्ष का अन्तराल अथवा दो वर्ष एक ही कक्षा में अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में छात्र को नियमित प्रवेश की पात्रता नही होगी। ऐसे छात्र मण्डल की परीक्षा में स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगें।
10	कमी उपस्थिति (विनियम 208, 209, 210)	मण्डल की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए नियमित छात्र की न्यूनतम उपस्थिति **75 प्रतिशत** अनिवार्य होगी। इस उपस्थिति में मण्डल विनियम अनुसार विभिन्न प्राधिकारी द्वारा 10 प्रतिशत की छूट दिये जाने का प्रावधान है। इस के अतिरिक्त म.प्र. में खेल में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने वाले छात्र/छात्रओं को बोर्ड परीक्षाओं में 60 प्रतिशत उपस्थिति में छूट दी जायेगी। राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धि छात्र/छात्राओं को यह अवधि खेल प्रतियोगिता में सम्मिलित कुल वास्तविक दिनों के उपस्थिति दिवस के रूप में मान्य की जावेगी। कमी उपस्थिति वाले छात्रों को नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में बैठने की पात्रता न होने के कारण विशेष परिस्थितियों में अनुमति प्राप्त होने पर एवं अतिरिक्त शुल्क 20/– अदा करने पर स्वाध्यायी छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगें। **ऐसे छात्रों की सूची रोल नम्बर सह संस्था प्राचार्य दिनांक 31.01.2013 तक अनिवार्य रूप से मण्डल मुख्यालय को प्रेषित करेगें।**
11	ऑनलाइन/मेन्युअल परीक्षा आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया	1 कक्षा 10वीं एवं 12वीं के परीक्षा आवेदन निकटस्थ एम पी ऑन लाईन के अधिकृत किसी भी निजी कियोस्क पर जाकर निर्धारित शुल्क एवं पोर्टल चार्जेस का नगद भुगतान करते हुए। **अथवा** एम पी ऑन लाईन की वेबसाइट **www.mponline.gov.in** के कार्यालय/निवास से तथा क्रेडिट कार्ड से शुल्क का भुगतान करके भी आवेदन किया जा सकता है। ओ एम आर शीट [illegible] लोड कर [illegible]क्षार्थी की समस्त जानकारी भरें। निकटस्थ कि[illegible]र जाकर प्रविष्टि करायेंगे। छात्र का डिजिटल कैमरे से लिया हुआ नाम एवं दिनांक युक्त फोटो ग्राफ अनिवार्य रूप से चस्पा किया जाए। इसी फोटो का कियोस्क पर स्केन कराया जावें।

		मेन्युअल **2** ऐसी संस्थाऐं जो मेन्युअल डाटाशीट भरना चाहती है वे जिले की समन्वयक संस्था से निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र/ ओ.एम.आर. शीट निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकेगें। छात्र की पात्रता संबंधी जांच तथा डाटा शीट में भरी गई छात्र संबधी जानकारी की प्रविष्टियों की जांच का दायित्व संस्था प्राचार्य का होगा। डाटा शीट में भरी जा रही जानकारी नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि आदि की पुष्टि शाला के अभिलेख से की जाये। 3 ओ.एम.आर. शीट पर विषय कोड सावधानी से कोड लिस्ट देखकर विषय कोडिंग की जावे। ताकि विषयों की त्रुटि प्रवेश पत्र में न हो। विगत वर्षो में प्रायः देखा गया है कि कोड गलत भरे जाने से प्रवेश पत्रों में विषय गलत मुद्रित होते है। जो बाद में छात्रों एवं संस्था द्वारा संशोधन कराये जाते है। 4 प्रवेश पत्र एवं अंकसूची त्रुटि रहित जारी करने के उददेश्य से समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं को संशोधन पत्रक दिनांक **10.12.2012** तक उपलब्ध कराये जायेगें। संस्था प्राचार्य इन संशोधन पत्रक में सावधानीपूर्वक संशोधन कर मण्डल मुख्यालय को **31.12.2012** तक उपलब्ध करायेगे। ***5 नियमित परीक्षार्थियों के ऑनलाइन एवं मेन्युअल पद्धति से तथा स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के केवल मेन्युअल पद्धति से आवेदन पत्र भरे जा सकेगें।*** 6 **ऑनलाइन एवं मेन्युअल परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की तिथि 25.08.12 से 30.09.2012 तक निर्धारित** की **गई है।**	
12	नियमित / **स्वाध्यायी** छात्रों की **शुल्क** रियायत	1 नेत्रहीन, मूक ,बधिर, स्पास्टिक सेरेब्रिल –पॉलसी (मानसिक रूप से विकलांग) से पीडित परीक्षार्थी। **(C.M.O. द्वारा प्रमाणित चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर संस्था प्राचार्य का प्रमाणीकरण)**	**सम्पूर्ण शुल्क से छूट**
		2 मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण –संस्थाओं के सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत मध्यप्रदेश के शिक्षकों के पुत्र/पुत्रियां परीक्षार्थी। **(प्रमाणीकरण जिला शिक्षा अधिकारी)**	**संपूर्ण शुल्क से छूट** (यदि परीक्षा में बैठने का प्रथम अवसर हो तो।)
		3 मण्डल के अधिकारी/कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियां परीक्षार्थी।**(प्रमाणीकरण–मण्डल मुख्यालय एवं संबंधित संभागीय अधिकारी)**	**संपूर्ण शुल्क से छूट** (यदि परीक्षा में बैठने का प्रथम अवसर हो तो।)
		4 मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं की पुत्रियां परीक्षार्थिनी। **प्रमाणीकरण– जिला शिक्षा अधिकारी**	**अर्द्ध परीक्षा शुल्क से छूट** (यदि परीक्षा में बैठने का प्रथम अवसर हो तो।
		5 महिला परीक्षार्थिनी जिनके अभिभावकों की सभी स्रोतों से वार्षिक आय रू. 15,000/–से अधिक नहीं है। **(प्रमाणीकरण–कार्यपालन अधिकारी अथवा रेवेन्यु अधिकारी)**	**अर्द्ध परीक्षा शुल्क से छूट** (यदि परीक्षा में बैठने का प्रथम अवसर हो तो।
		6 (i) मध्यप्रदेश के निवासी **अनुसूचित जाति** के परीक्षार्थी यदि परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रूपये **1.00** लाख से अधिक नहीं है। **(ii)** मध्यप्रदेश के निवासी **अनुसूचित जनजाति** के परीक्षार्थी यदि परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रूपये 1,08 (एक लाख आठ हजार) से अधिक नहीं है। **(प्रमाणीकरण**–एस.डी.ओ./सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नयाब तहसीलदार, परियोजना प्रशासन अधिकारी (वृहत/माध्यम/लघु) एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना एवं संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग)	**(i)** केवल प्रथम अवसर के लिये सूपर्ण परीक्षा शुल्क छूट। आवेदन पत्र के मूल्य में छूट नहीं है। **(ii)** सम्बन्धित जिले में शासन द्वारा अनुसूचित जाति /जनजाति की निर्धारित की गई जातियों के परीक्षार्थियों के लिए यह छूट रहेगी।

13	शुल्क	1 परीक्षा शुल्क (नियमित/स्वाध्यायी संपूर्ण विषय) (जिन छात्रों द्वारा नामांकन शुल्क रू. 80/–पूर्व में जमा किया है तो ऐसे छात्रों से केवल 420/– परीक्षा शुल्क के रूप में लिया जाए।) 2 संपूर्ण विषयों के साथ **(प्रति अतिरिक्त विषय)** हेतु 3 केवल एक अतिरिक्त विषय हेतु 4 पूरक परीक्षा हेतु प्रति विषय 5 नामांकन शुल्क 6 हायर सेके. व्याव./डीएड परीक्षा द्वितीय अवसर 7 ग्राहयता शुल्क (अन्य बोर्ड से आये छात्रों हेतु) 8 परीक्षा केन्द्र परिवर्तन शुल्क 9 विषय/माध्यम/संकाय परिवर्तन (प्रति विषय) शुल्क 10 स्वाध्यायी छात्रों की पात्रता जांच करने हेतु अग्रेषणकर्ता अधिकारी को देय शुल्क 11 कोरी डाटा शीट परीक्षार्थी हेतु 12 कोरे परीक्षा आवेदन पत्र 13 एम पी ऑन लाईन के सेवा केन्द्र संचालक को देय शुल्क (नियमित/स्वाध्यायी)	500/– 150/– 150/– 150/– 80/– 200/– 200/– 100/– 100/– 15/– 20/– 10/– 20/–
14	**प्रायोगिक परीक्षाऍं**	नियमित परीक्षार्थी की प्रायोगिक परीक्षाऍं उनकी अध्ययनरत संस्थाओं पर आयोजित की जाएगी। प्रायोगिक परीक्षाऍं निर्धारित **तिथि 01.02.2013 से 20.02.2013** के मध्य संचालित होगी। इस हेतु बाह्मय परीक्षकों की नियुक्ति **01.01.2013से 30.01.2013** तक अनिवार्यतः जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा की जावें।	
15	**परीक्षा** केन्द्र का निर्धारण	जिला योजना समिति अक्टूबर–नवम्बर माह में केन्द्र निर्धारण के संबंध मे अपनी बैठक आयोजित कर अनुशंसाऐं **25.10.2012** तक मण्डल मुख्यालय को प्रेषित करेगें।	
16	**अनुचित साधन** (अधिनियम 1937)	माध्यमिक शिक्षा मण्डल,मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा संचालित समस्त परीक्षाओं में सामूहिक नकल/व्यक्तिगत नकल पूर्ण संकल्प एवं दृढता से रोकी जाना है। " मध्यप्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षायें अधिनियम 1937 " की धारा **" डी"** के अन्तर्गत जो भी व्यक्ति परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करता है अथवा करवाता है उसको तीन साल का कारावास अथवा पॉच हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है । अतः छात्रों को इस दुष्प्रवृत्ति से दूर रहने हेतु प्रेरित करे। **अनुचित साधन का प्रयोग करने वाले छात्र एवं सामूहिक नकल परीक्षा केन्द्र पर प्रमाणित होने पर मण्डल ऐसे छात्रों की परीक्षा एवं परीक्षाफल निरस्त करने की कार्यवाही करेगा।**	
17	**परीक्षा शुल्क वापसी** (विनियम 112)	मण्डल केवल ऐसे परीक्षार्थियों की परीक्षा शुल्क वापस करेगा जिन परीक्षार्थियों को अपात्र किया गया है। ऐसे अभ्यार्थी की परीक्षा शुल्क किसी भी हालत मे वापस नहीं होगी, जिन्होने झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने या झूठे विवरण देने का कारण परीक्षा फार्म अस्वीकृत किया गया है।	
18	**स्थानांतरण प्रकरण**	किसी पालक का स्थानांतरण, शैक्षणिक सत्र के बीच में हो जाता है तो छात्र को संस्था में उस स्थिति में प्रवेश दिया जा सकेगा, जब छात्र द्वारा निर्धारित तिथि तक नियमित छात्र के रूप में किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रवेश ले लिया हो । इन प्रकरणों में संस्था परिवर्तन की अनुमति संबंधित शाला के प्राचार्य द्वारा **31.12.2012** तक दी जा सकेगी। इसके बाद अनुमति हेतु मण्डल मुख्यालय में सचिव को प्रेषित की जाए। परिवर्तन की सूचना प्राचार्य तत्काल सचिव माध्यमिक शिक्षा मण्डल को देगें।	
19	**(ओ.एम.आर. शीट) /परीक्षा आवेदन पत्रों का सूक्ष्म परीक्षण**	नवीन प्रवेशित छात्रों की जांच उपरांत ही पात्रता होने पर प्रवेश दिया जाए। मण्डल की बोर्ड परीक्षा हेतु आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों के डाक्यूमेन्टस की जांच भी प्राचार्य स्तर पर की जाये। इस कार्य के लिये मानदेय नहीं दिया जावेगा। पात्र छात्र ही परीक्षा में सम्मिलित हो यह सुनिश्चित करना संस्था प्राचार्य का दायित्व होगा। समस्त छात्रों के ओ.एम.आर. शीट की छायाप्रति के साथ पात्रता संबंधी डाक्यूमेन्टस संलग्न कर जिले की समन्वयक संस्था पर निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य है। विगत् वर्ष मण्डल ने जांच में पाया कि कई छात्रों के डाक्यूमेन्टस आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं थे। ऐसे छात्रों के परीक्षाफल रोकने की कार्यवाही मण्डल को करना पडी। इस वर्ष अशासकीय संस्थाओं के आवेदन पत्र (ओ.एम.आर. शीट) की छायाप्रति एवं डाक्यूमेन्टस विकासखण्ड स्तर पर उत्कृष्ट/चिन्हित विद्यालयों के प्राचार्य के माध्यम से सूक्ष्म परीक्षण कराया जाएगा। संबंधित संस्था का दायित्व होगा की वे अपनी संस्था के नियमित विद्यार्थियों के आवेदन पत्र एवं डाक्युमेंट का परीक्षण संबंधित विकासखण्ड स्तर पर उत्कृष्ट/चिन्हित विद्यालय से कराकर ही जिले की समन्वयक संस्था पर निर्धारित तिथि में आवेदन जमा करेगें। जिन संस्थाओं नें आनलाईन आवेदन किया है वे संस्था ऑनलाइन आवेदन की छाया प्रति के साथ डाक्युमेंट का परीक्षाण कर जमा करेगें।	

21	संभागीय अधिकारी से परीक्षण	1. आवेदन पत्र (ओ.एम.आर. शीट) जिले की समन्वयक संस्था से संभागीय अधिकारी कार्यालय से प्रतिनिधि भेजकर प्राप्त करेगें। ओ.एम.आर. शीट की छाया प्रति,नामिनल रोल,शुल्क विवरण पत्रक,अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र इत्यादि अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेगें। तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र का आडिट पूर्व वर्षो के भाँति संभागीय कार्यालय स्तर पर संबंधित विभाग से कराकर आडिट रिपोर्ट मण्डल को प्रस्तुत करेगें। **दिनांक 5.10.2012 तक मूल ओ.एम.आर. शीट मुख्यालय के डाटा कक्ष को सौपेगें।**

अन्त में उपरोक्त समय सारणी एवं प्रवेश प्रक्रिया का अध्ययन कर समय-सीमा में कार्यवाही कर मण्डल को सहयोग प्रदान करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,मध्यप्रदेश,
भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक/572 /परीक्षा समन्वय/2012 भोपाल, दिनांकः 11 /07 /2012

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव/सचिव म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग/आदिम जाति/अनुसूचित जाति, कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. कमिश्नर, समस्त राजस्व संभाग, मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल
4. आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
5. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, श्यामला हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश।
6. संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल
7. समस्त कलेक्टर , मध्यप्रदेश।
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
9. संयुक्त संचालक, शिक्षा समस्त, मध्यप्रदेश।
10. सहायक आयुक्त ,समस्त आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
12. आंचलिक अधिकारी/समस्त, संभागीय अधि./समस्त स.स./क.अ. परीक्षा संभाग एवं लोक सूचना कक्ष।
13. पंजीयक परीक्षा/जनसम्पर्क अधि./विधि अधि./सी.एस.ओ./वित्ताधिकारी, मा.शि.मंडल भोपाल।
14. नि.स.-अध्यक्ष/सचिव/अतिरिक्त सचिव/परीक्षा नियंत्रक/उपसचिव मा.शि.म.मंडल।
15. प्राचार्य, समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाऐं मध्यप्रदेश।
16. लोक सूचना अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मण्डल,मध्यप्रदेश भोपाल
17. संचालक एम पी ऑन लाईन मध्यप्रदेश।
18. विशेष सहायक माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,मध्यप्रदेश,
भोपाल

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई–मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in
फेक्स – ☎ : (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक/573 /परीक्षा समन्वय/2012 भोपाल, दिनांक 11 जुलाई, 2012

// निर्देश //

मण्डल का मुख्य कार्य हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी की परीक्षाओं का आयोजन करना है। मण्डल के किसी प्रभाग के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति समय पर न कर पाने का विपरीत परिणाम परीक्षा के संचालन पर पड़ता है। परीक्षाओं का आयोजन सुगमता पूर्वक हो इस दृष्टि से मण्डल के सभी संबंधित अधिकारी, संस्था प्राचार्य, जिला स्तरीय अधिकारी एवं इकाईयों को कई गतिविधियों का संचालन समानान्तर रूप से एक साथ करना होता है। निर्धारित लक्ष्य में कार्य पूर्ण करने में समन्वय की आवश्यकता होती है।

अतः शिक्षण सत्र 2012–13 की परीक्षाओं के लिए विभिन्न कार्यालय के कक्षों के महत्वपूर्ण कार्यो के लिये तिथियों का प्रारंभिक निर्धारण किया गया है। सभी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यह सुनिश्चित करेगें कि उनसे संबंधित कार्य समय–सीमा में पूरा हो।

शिक्षण सत्र 2012–13 का लक्ष्य तिथि निर्धारण

क्र.	कार्य	निर्धारित तिथि	संबंधित कक्ष जिसे कार्यवाही करना है।
1	मान्यता प्राप्त संस्थाओं को प्रवेश प्रक्रिया/नीति का प्रेषण	09.07.2012	समन्वय/परीक्षा कक्ष
2	मान्यता प्रदान कर मान्यता प्राप्त संस्था की सूची प्रसारित करना	25.07.2012	संभागीय कार्यालय/ मुख्यालय के मान्यता कक्ष
3	विषय समिति की बैठक, पेपर सेटर एवं माडरेटर के नामों की अनुसंशा प्राप्त करना	15.07.2012	विद्योचित कक्ष
4	कोरे परीक्षा आवेदन पत्र, डाटाशीट एवं कक्षा 9वीं के नामांकन मण्डल मुद्रणालय/फर्म से मुद्रण होकर प्राप्त होना	15.07.2012	परीक्षा समन्वय/डाटा कक्ष/मण्डल मुद्रणालय
5	मान्यता प्राप्त संस्थाओं में छात्रों को प्रवेश देने की अंतिम तिथि	30.07.2012	संस्था प्राचार्य
6	छात्रों के प्रवेश उपरांत प्रवेश सूची, विषयवार संख्या पत्रक (कक्षावार) एवं ग्राहयता प्रकरण समन्वयक संस्था में जमा करने की अंतिम तिथि	12.08.2012	संस्था प्राचार्य/समन्वयक संस्था प्राचार्य
7	प्रवेश सूची,विषयवार संख्या पत्रक एवं ग्राहयता प्रकरण समन्वयक संस्था से प्राप्त करने की अंतिम तिथि	12.08.2012	संभागीय कार्यालय द्वारा
8	प्रवेश सूची एवं विषयवार संख्या पत्रक मण्डल मुख्यालय के परीक्षा कक्ष में सौंपने की अंतिम तिथि	20.08.2012	संभागीय कार्यालय/परीक्षा कक्ष
9	कोरे परीक्षा आवेदन पत्र एवं कक्षा 9वीं के नामांकन संभागीय कार्यालयों के माध्यम से समन्वयक संस्थाओं को प्रेषण की तिथि	15.08.2012	परीक्षा समन्वय / भण्डार मण्डल मुद्रणालय/ परीक्षा
10	कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विषयवार संख्या पत्रक की प्रविष्टि कम्प्यूटर कक्ष में कराने हेतु सौंपने की अंतिम तिथि	25.08.2012	परीक्षा कक्ष/कम्प्यूटर कक्ष
11	ग्राहयता प्रकरण का निराकरण एवं ग्राहयता प्रदान कर कक्षा 10वीं, 11वीं एवं 12वीं के नामांकन करना।	16.08.2012 से 20.09.2012 तक	संभागीय कार्यालय
12	**नियमित छात्रों के परीक्षा आवेदन/कक्षा 9वीं के नामांकन ऑन लाईन/मेन्युअल फार्म जमा करने की अंतिम तिथि**	25.08.2012 से 30.09.2012	संस्था प्राचार्य
13	**स्वाध्यायी छात्रों के परीक्षा आवेदन/डाटाशीट अग्रेषणकर्ता अधिकारी एवं समन्वय संस्था में जमा करने की अंतिम तिथि**	25.08.2012 से 30.09.2012 तक	अग्रेषण संस्था/समन्वयक संस्था प्राचार्य
14	उत्तर पुस्तिका मुद्रण की संख्या सौपने की अंतिम तिथि	30.08.2012	समन्वय/क्रय कक्ष

15	उत्तर पुस्तिका मुद्रण हेतु प्रारूप, पृष्ठ संख्या का अनुमोदन लेना एवं फर्म को मुद्रण के आदेश देना	15.09.2012	कय कक्ष
16	विषयवार संख्या पत्रक की प्रविष्ठि करने की अंतिम तिथि	30.09.2012	परीक्षा कक्ष / कम्प्युटर कक्ष
17	ग्राहयता प्रकरण की संख्यावार, नामांकन सहित सूची मुख्यालय में सौंपना	30.09.2012	संभागीय कार्यालय
18	प्रश्न पत्रों के मुद्रण हेतु परीक्षावार संख्या पत्रक डाटा कक्ष द्वारा सौंपना	30.09.2012	डाटा कक्ष / गोपनीय कक्ष
19	परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु छात्र संख्या की जानकारी संबंधित अधिकारी को देने की अंतिम तिथि	30.09.2012	परीक्षा कक्ष / समन्वय कक्ष एवं जिला स्तरीय समिति
20	प्रश्न पत्रों के निर्माण हेतु कार्यवाही सम्पादित करना	15.09.2012 से 31.10.2012	गोपनीय कक्ष
21	डाटाशीट स्केनिंग हेतु फर्म को सौंपने की अंतिम तिथि	10.10.2012	परीक्षा कक्ष / डाटा कक्ष एवं कम्प्यूटर कक्ष
22	कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला योजना समिति से केन्द्र के प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि	25.10.2012	जिला स्तरीय समिति / परीक्षा कक्ष
23	केन्द्र निर्धारण के प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	15.11.2012	परीक्षा कक्ष (पंजीयक, परीक्षा नियंत्रक, सचिव एवं अध्यक्ष)
24	प्रश्न पत्रों को मुद्रण हेतु फर्म को सौंपने की कार्यवाही	20.11.2012	गोपनीय कक्ष
25	परीक्षा कार्यक्रम का अनुमोदन प्राप्त करना	20.11.2012	समन्वयकक्ष
26	प्रस्तावित केन्द्र एवं परीक्षा कार्यक्रम का परीक्षा समिति से अनुमोदन	30.11.2012	परीक्षा कक्ष / समन्वय
27	उत्तर पुस्तिका का मुद्रण कराने की अंतिम तिथि	30.11.2012	समन्वयक कक्ष
28	परीक्षा केन्द्र सामग्री,केन्द्राध्यक्ष की महत्वपूर्ण निर्देश पुस्तिका एवं उडनदस्ते की निर्देश पुस्तिका का अनुमोदन लेना	30.11.2012	समन्वय कक्ष
29	संशोधन कार्ड फर्म से संस्थावार प्राप्त होने की अंतिम तिथि	05.12.12	डाटा कक्ष / फर्म
30	जिलेवार / संस्थावार संशोधन कार्ड संस्थाओं को प्रेषण की तिथि	10.12.12	डाटा कक्ष / परीक्षा कक्ष
31	परीक्षा केन्द्र का कम्प्यूटर कक्ष से मुद्रण एवं संबंधित को भेजने की अंतिम तिथि	10.12.2012	समन्वय कक्ष / कय कक्ष / फर्म
32	परीक्षा केन्द्र सामग्री मुद्रण कराने की अंतिम तिथि	20.12.2012	डाटा कक्ष / कम्प्यूटर कक्ष
33	प्रायोगिक परीक्षा हेतु 04 पृष्ठीय उत्तर पुस्तिका का वितरण कराने की अंतिम तिथि	25.12.2012	समन्वयक संस्था / सं.का. / समन्वय कक्ष
34	केन्द्र सामग्री केन्द्रवार पैकिंग करने हेतु सामग्री का संभागीय कार्यालयों में प्रेषण	30.12.2012	समन्वय कक्ष / संभा,कार्या,
35	संस्थाओं द्वारा संशोधन कार्ड मण्डल मुख्यालय को प्राप्त होने की तिथि	31.12.12	सं.का. / परीक्षा / डाटा
36	विषय / माध्यम का परिवर्तन करने की अंतिम तिथि	31.12.12	परीक्षा कक्ष
37	केन्द्राध्यक्ष / सहायक केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति कराने की अंतिम तिथि	31.12.2012	समन्वय कक्ष
38	प्रवेश पत्र एवं नामीनल रोल फर्म से प्राप्त करने की अंतिम तिथि	31.12.2012	समन्वय कक्ष / जिला स्तरीय समिति
39	प्रश्न पत्रों की केन्द्रवार पैकिंग हेतु केन्द्र चार्ट संबंधित फर्म को सौपना	31.12.2012	गोपनीय कक्ष / सचिव का निजी कक्ष
40	संवेदन / अतिसंवेदनशील परीक्षा केन्द्र पर प्रेक्षक नियुक्ति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था कराने के निर्देश प्रसारित करना	15.01.2013	समन्वय कक्ष
41	प्रवेश पत्र एवं नामीनल रोल संस्था को भेजने की अंतिम तिथि	20.01.2013	डाटा कक्ष / फर्म
42	प्रवेश पत्र, उपस्थिति पत्रक, चेक लि[illegible] ओ एम आर शीट एवं डाकेट फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि	25.01.2013	डाटा कक्ष [illegible] कक्ष
43	स्ट्रॉग रूम में ड्यूटी लगाने हेतु आदेश प्रसारित करने की तिथि	25.01.2013	समन्वय कक्ष

44	परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण कराने हेतु निर्देश प्रसारित करना	25.01.2013	समन्वय कक्ष
45	प्रवेश पत्र संस्था को वितरित करने हेतु समन्वयक संस्था में पहुंचाने की अंतिम तिथि	3101.2013	डाटा कक्ष / परीक्षा कक्ष
46	मान्यता प्राप्त संस्थाओं को प्रवेश पत्र का वितरण	01.02.2013	परीक्षा कक्ष / समन्वयक संस्था
47	नियमित छात्रों की अध्ययनरत संस्था में प्रायोगिक परीक्षा कराने की तिथि	01.02.2013 से 20.02.2013 तक	संस्था / गोपनीय कक्ष
48	गोपनीय सामग्री फर्म से प्राप्त करने की अंतिम तिथि	01.02.2013 से 10.02.2013 तक	स्ट्रॉग रूम प्रभारी
49	गोपनीय सामग्री स्पीड पोस्ट की ईपीपी के माध्यम से समन्वयक संस्था में प्रेषण करने की अंतिम तिथि	16.02.2013	स्ट्रॉग रूम प्रभारी / स्पीडपोस्ट
50	गोपनीय सामग्री,उत्तर पुस्तिका एवं अन्य केन्द्र सामग्री का परीक्षा केन्द्र के केन्द्रध्यक्ष को समन्वयक संस्था से वितरित कराने की तिथि	22.02.2013 से 24.02.2013 तक	समन्वय / डाटा / गोपनीय कक्ष एवं समन्वयक संस्था / जिला प्रशासन
51	मण्डल की समस्त परीक्षाओं का संचालन करने की प्रारंभिक तिथि	01.03.2013	मण्डल कार्यालय / परीक्षा केन्द्र

विभिन्न फर्मो से मण्डल का मुद्रण कार्य करने हेतु टेण्डर कराने की तिथियॉ

क्र.	विवरण	निविदा जारी करने की प्रस्तावित तिथियां	निविदा भरने की अंतिम तिथि	कक्ष
1	उत्तर पुस्तिका मुद्रण का कार्य हेतु टेण्डर की तिथि	15.07.2012	15.08.2012	क्रय कक्ष
2	रिजल्ट प्रोसेसिंग हेतु टेण्डर कराने की तिथि	15.07.2012	15.08.2012	डाटा कक्ष
3	होलोक्रॉफ्ट स्टीकर मुद्रण कराने हेतु पेपर का टेण्डर	20.07.2012	20.08.2012	डाटा कक्ष
4	अंक सूची मुद्रण हेतु स्टेशनरी का टण्डर	20.07.2012	20.08.2012	डाटा कक्ष
5	सामग्री भेजने हेतु क्लाथ लाइन लिफाफे, प्रायोगिक एवं सैद्धातिक परीक्षा के अंक मंगाने हेतु ईपी / डीपी लिफाफे का टेण्डर	20.07.2012	20.08.2012	क्रय कक्ष
6	गोपनीय सामग्री प्रश्न पत्र मुद्रण	30.09.2012	20.10.2012	सचिव नि.क.

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश
भोपाल

परिशिष्ट–1

मण्डल विनियम 122 के अनुसार ग्राह्यता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र

1.	आवेदक का नाम			
2.	पिता का नाम			
3.	आवेदक का वर्तमान पता			
4.	जन्म तिथि			
5	आवेदक के पालक का नाम तथा आवेदक का उससे संबंध			
6	**अर्हकारी परीक्षा का विवरण**			
	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण कक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	विषय
				1.
				2.
				3.
				4.
				5.
				6.
7	**संस्था का नाम एवं कोड कमांक जिसमें प्रवेश चाहते है।**			
	संस्था का नाम		संस्था कोड	

दिनांक ..../........../..............   **परीक्षार्थी के हस्ताक्षर** ....

मैं प्रमाणित करता हूँ कि प्रार्थी द्वारा उपरोक्त दी गई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य हैं। छात्र को इस शाला में सत्र .... में कक्षा .... में नियमानुसार अस्थाई प्रवेश दिया गया हैं। ग्राह्यता प्रदान करने हेतु समस्त मूल दस्तावेज संलग्न करते हुये ग्राहयता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती हैं।

शाला का कोड ....

हस्ताक्षर प्राचार्य
पद मुद्रा

माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश,भोपाल

संस्थागत छात्रों की संख्या एवं विषयवार संख्या का एकजाई विवरण

विषयवार संख्या पत्रक प्रारूप

Class IXth, Xth, XIth & XIIth)

संस्था की बैठक क्षमता फर्नीचर सहित .... कमरो की संख्या..................

शिक्षण सत्र 2012–13

कक्षा ....

शाला का नाम (हिन्दी में) .... शाला कोड .... शहरी / ग्रामीण ....

(अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में) .... School Code .... Rural/Urban ....

		प्रथम भाषा (विशिष्ट)				द्वितीय भाषा (सामान्य)				तृतीय भाषा (सामान्य)				अनिवार्य / डायवर्सीफाईड विषय									अतिरिक्त विषय			अन्य विषय
विषय कोड ⟶																										
छात्रों की संख्या माध्यमवार	हिन्दी माध्यम																									
	अंग्रेजी माध्यम																									
	उर्दू माध्यम																									
	कुल योग																									

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
पद मुद्रा सहित

माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रवेश सूची का प्रारूप

(शिक्षण सत्र 2012–13 की कक्षा .... की प्रवेश सूची) **(Class IXth, Xth, XIth & XIIth)**

शाला का नाम
(हिन्दी में) .... शाला कोड .... शहरी / ग्रामीण ....
(अंग्रेजी के कैपीटल अक्षरों में) .... School Code .... Rural/Urban ....

स.क्र.	नामांकन क्रमांक	विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	माता का नाम	विद्यार्थी की जन्म तिथि	परीक्षा माध्यम	वर्ग (SC/ ST/OBC OTHER)	भाषा समुह की भाषायें / कोड			अनिवार्य विषय / समुह की भाषायें कोड			अतिरिक्त विषय यदि लिया हो तो विषय कोड
								(I)	(II)	(III)	(I)	(II)	(III)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
कुल प्रवेशित छात्र														

प्रमाणित किया जाता है कि उक्तानुसार दी गई जानकारी शालेय अभिलेख के अनुसार सही है।

दिनांक :–

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
पद मुद्रा सहित

1 – प्रवेश सूची कक्षावार पृथक–पृथक तैयार की जाना है।

2– प्रवेश सूची का सरल क्रमांक 1 से आखिरी नम्बर तक रहेगा उदाहरण के रूप में यदि किसी शाला में कक्षा 10वीं के 395 छात्र है तो प्रवेश सूची का सरल क्रमांक 1 से 395 तक रहेगा।

3– कक्षा 11वीं एवं 12वीं में विषय समूह के कालम में "कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, ललित कला, गृह विज्ञान" में से जो भी लागू हो वह कोड सहित अंकित किया जावें।